प्रेस नोट **दिनांक 29.0.2026**

दो नफर शातिर अन्तर्जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार कब्जे से दो अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चार पहिया वाहन बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.07.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम व स्वाट टीम मऊ को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली की गोरखपुर की तरफ से दो शातिर बदमाश आ रहे है, जिनके पास नाजायज असलहा व कारतूस है, उक्त सूचना पर थाना दक्षिण टोला व प्रभारी स्वाट टीम अपने अपने हमराहीयों के साथ मतलूपुर फ्लाई ओवर पहूंच कर दो टीमो में विभक्त होकर गोरखपुर की तरफ से आने वाले वाहन का इन्तजार करने लगे की कुछ ही देर में एक सफेद रंग की फोर व्हीलर वाहन गोरखपुर की तरफ से आती हूई दिखायी दी, उक्त वाहन के और पास आने पर वाहन को दोनो तरफ से पुलिस टीम द्वारा घेर कर रोक लिया गया तथा वाहन को चेक किया गया तो वाहन में दो व्यक्ति मौजूद मिले है, जिनकी तलाशी ली गयी तो दोनो व्यक्तियो के कब्जे से एक एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियो के उपर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवरण पूछताछ- पकड़े गये व्यक्तियो से पूछताछ किया गया तो तथ्य प्रकाश में आया कि पकड़े गये व्यक्तियो ने अपना नाम **1.** हिमांशु यादव उर्फ गोविन्द यादव पुत्र रामचन्द्र यादव सा0 मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, **2.** पंकज यादव पुत्र विजय बहादुर यादव सा0 पीपरीडीह मजखानी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ बताया तथा बताये कि इनके विरूद्ध कई जनपदो में संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है तथा वर्ष 2025 में जनपद देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र में हूई पुलिस मुठभेड़ में इनके द्वारा पुलिस के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, तत्समय पुलिस मुठभेड़ में हिमांशु यादव उर्फ गोविन्द यादव के दोनो पैरो में गोली लगी थी तथा पंकज यादव मौके से फरार हो गया था जो अभी उसी मुकदमें वांछित चल रहा है। पकड़े गये अपराधियों के द्वारा पैसे के लिए लूट, हत्या जैसे अपराध किया जाता है। इनको मुकदमों की पैरवी के लिए, जिसके लिए ये लोग जनपद मऊ में किसी व्यपारी का अपहरण या कोई संगीन अपराध कारित करने की फिराक में थे।

अभियुक्तगण आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. **हिमांशु यादव उर्फ गोविन्द यादव पुत्र रामचन्द्र यादव सा0 मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ**

1.मु0अ0सं0 205/2023 धारा 394/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 142/2029 धारा 147/323/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ

3.मु0अ0सं0 763/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

4.मु0अ0सं0 344/2023 धारा 394/411/307/504 भादवि थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

5.मु0अ0सं0 324/2023 धारा 394/411 भादवि थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

6.मु0अ0सं0 353/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

7.मु0अ0सं0 488/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

8.मु0अ0सं0 339/2023 धारा 394/411/504/506 भादवि थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया

9.मु0अ0सं0 369/2025 धारा 109(1)/190/61(2) बी0एन0एस0 व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

10.मु0अ0सं0 332/2020 धारा 147/148/149/302/120b भादवि थाना मरदह जनपद गाजीपुर

11.मु0अ0सं0 121/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मरदह जनपद गाजीपुर

12.मु0अ0सं0 145/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

2. **पंकज यादव पुत्र विजय बहादुर यादव सा0 पीपरीडीह मजखानी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ**

1. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 109(1)/190/61(2) बी0एन0एस0 व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

2.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

3.मु0अ0सं0 102/2026 धारा 115(2)/126(2)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

4.मु0अ0सं0 61/2022 धारा 394/411 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

5.मु0अ0सं0 235/2020 धारा 393/323/216A/120B भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

6.मु0अ0सं0 261/2020 धारा 379/394/411/420/467/468/471 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

7.मु0अ0सं0 262/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

8.मु0अ0सं0 133/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

9.मु0अ0सं0 430/2020 धारा 392/411 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

10.मु0अ0सं0 266/2022 धारा 394/411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ

11.मु0अ0सं0 145/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

12.मु0अ0सं0 293/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

13.मु0अ0सं0 431/2020 धारा 392/411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

14.मु0अ0सं0 304/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

15.मु0अ0सं0 232/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/117(2)/126(2) बी0एन0एस0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 111/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. हिमांशु यादव उर्फ गोविन्द यादव पुत्र रामचन्द्र यादव सा0 मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. पंकज यादव पुत्र विजय बहादुर यादव सा0 पीपरीडीह मजखानी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

गिरफ्तारी का दिनाक व समय-

29.07.2026 समय 2:30 बजे

बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
2. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद फोर व्हीलर वाहन

01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.07.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना देव बाबा स्थान करहां मार्ग से मु0अ0स0 256/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त विनय कुमार पुत्र बहादुर, निवासी ग्राम खड़गिलिया, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद अवैध तंमचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विनय कुमार पुत्र बहादुर, निवासी ग्राम खड़गिलिया, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 256/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी दिनांक व समय

दिनांक 28.7.2026 समय 10:45 बजे

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद पिस्टल .32 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

गैर इरादतन हत्या के मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.07.2026 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुहम्मद अली इंटर कालेज इंदारा के पास मु0अ0सं0 218/26 धारा 105 बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गुड्डू कुमार पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम महुई थाना मधुबन जनपद मऊ 2.अभियुक्ता नेहा राजभर पत्नी कुन्ज बिहारी

निवासी कुतुबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

1. गुड्डू कुमार पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम महुई थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब -28 वर्ष
2. अभियुक्ता नेहा राजभर पत्नी कुन्ज बिहारी निवासी कुतुबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थान
दिनांक 29.07.2026 समय करीब 11.50 बजे मुहम्मद अली इंटर कालेज इंदारा के पास थाना कोपागंज

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 -218/26 धारा 105 बीएनएस

जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी के 1400/- रुपये व फड़ के 2500 रुपये नगद बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.07.2026 थाना घोसी द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पठान टोला बास की कोठी के पास से मु0अ0स0 323/26 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम से संबंधित अभियुक्तगण1. शहजाद पुत्र मुमताज निवासी टेड़ी गली अमिला, 2. प्रमोद पुत्र स्व अच्छेलाल निवासी अमिला पठान टोला, 3 अजाद पुत्र हमीद निवासी अमिला पठान टोला समस्त थाना घोसी जनपद मऊ जुआ खेलते हुए कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते 1400 रुपये जामा तलाशी के व फड़ के 2500/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शहजाद पुत्र मुमताज निवासी टेड़ी गली अमिला थाना घोसी जनपद मऊ।

2. प्रमोद पुत्र स्व अच्छेलाल निवासी अमिला पठान टोला थाना घोसी जनपद मऊ।
3. अजाद पुत्र हमीद निवासी अमिला पठान टोला थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग

1. 323/26 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम

बरामदगी-

1. 52 अदद ताश के पत्ते
2. 1400 /- रुपये जामा तलाशी के
3. 2500/- रुपये फड के बरामद।

पाक्सो एक्ट में वाछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन के नेतृत्व में दिनांक 29.07.2026 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चन्दापार के पास मु0अ0स0 69/26 धारा 87, 137(2), बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सहिल पुत्र सुनील राजभर निवासी बेलौली बोजीपुर थाना रामुपर को गिरफ्तार किया गया उपरोक्त धारा 7/8 पोक्सो एक्ट बढोत्तरी कर चालान न्यायलय किया गया।

अभियुक्त की विवरण-

1. सहिल पुत्र सुनील राजभर निवासी बेलौली बोजीपुर थाना रामुपर।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 69/26 धारा 87, 137(2), बीएनएस

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 21000/- साइबर पुलिस टीम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, कमलेश सिंह पुत्र बृजलाल सिंह निवासी बरहदपुर थाना मुहम्मदबाद जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना रामपुर साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 44000-/ (चौवालिस हजार) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष रामपुर के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित 1. महबूब अहमद पुत्र समीउल्लाह निवासी लधुवाई थाना रामपुर की 44000/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ती द्वारा फ्राड कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना रामपुर में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 44000 /- रुपये वापस कराया गया।

प्रेस नोट

27/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण जयशकंर पुत्र हरिद्वार राजभर निवासी जोगापुर थाना हलधरपुर, 2. अजय पुत्र रामचन्द्र निवासी जोगापुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ
2. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र रामसरीख निवासी ग्राम उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 29.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 27 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 457 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या करने वाला 01 अभियुक्त को अजीवन कारावास की सजा व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 167/2023 धारा 302 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाला एक अभियुक्त विकाश सिंह उर्फ राजा पुत्र स्व0 अनिल सिंह निवासी दतौली थाना रानीपुर जनपद मऊ को अजीवन कारावास की सजा व कुल 20,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।